उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार – 249404
Website- psc.uk.gov.in

पत्रांक : 107/46/ई–1/डी0आर0(पी0सी0एस0)/2020–21 दिनांक : 26 जून, 2024

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021'
साक्षात्कार–ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021' हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/E-1/PCS-2021/2021-22 दिनांक 10 अगस्त, 2021, अतिरिक्त विज्ञापन/शुद्धि–पत्र दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2022 के सापेक्ष दिनांक 23 से 26 फरवरी, 2023 तक सम्पन्न मुख्य परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या : 186/11/PCM(M)-21/G-1/2023-24 दिनांक 27 फरवरी 2024 एवं विज्ञप्ति संख्या : 01/11/PCM(M)-21/G-1/2023-24 दिनांक 05 अप्रैल, 2024 द्वारा जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कुल 902 (889+13) अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया गया है। उक्त अभ्यर्थियों में से समेकित पद एवं विशेष अर्हता वाले पदों के सापेक्ष अवशेष 59 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 03 एवं 04 जुलाई, 2024 को निर्धारित है।

2. अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक अर्हता एवं आरक्षण सम्बन्धी व अन्य दावों के समर्थन में समस्त मूल प्रमाण–पत्र/अभिलेख आयोग के अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगें, जिनका विवरण निम्नवत् है। :–

क्र0 सं0	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण
01	हाईस्कूल अंकतालिका
02	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र
03	डिप्लोमा अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर अंकतालिका **(यदि लागू हो)**।
04	डिप्लोमा प्रमाण पत्र **(यदि लागू हो)**।
05	स्नातक अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर अंकतालिका
06	स्नातक डिग्री
07	स्नातकोत्तर अंकतालिकाएं **(यदि लागू हो)**।
08	स्नातकोत्तर डिग्री **(यदि लागू हो)**।
09	बी0एड0 अन्तिम वर्ष की अंकतालिका **(यदि लागू हो)**।

10	बी0 एड0 डिग्री **(यदि लागू हो)।**
11	अनुभव प्रमाण पत्र **(यदि लागू हो) (विज्ञापन के परिशिष्ट– 6 के अनुसार)**
12	**अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।**
	(1) व्यवसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि।
	(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपााधि।
	(3) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण (बी0एड0) उपाधि।
	(4) डी0फिल
	(5) पी0 एच0 डी0
	(6) खेल प्रतियोगिताओं में राज्य **या** राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया हो।
	(7)सरकारी आंकडों और उनके निर्वचन में पांच वर्ष का अनुभव।
	(8) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित/सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/कृषि सांख्यिकी में पी–एच.डी. उपाधि **या** सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।
	(9) संगणक प्रोग्रामर और पी0सी0ए0टी0/एक्स0टी0 के संचालन का ज्ञान।
	(10) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातकोत्तर उपाधि **या** सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।
	(11) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान **या** मृदा संरक्षण में पी0एच0डी0 की उपाधि **या** सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
	(12) समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का तीन वर्ष का अनुभव।
	(13) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाशन–व्यवस्था/ अभिनय/निर्देशन इत्यादि में एक वर्षीय डिप्लोमा।
	(14) ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो।
	(15) अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा धारण करने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।
	(16) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि।
	(17) सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव।
	(18) समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य विषय में स्नात्तकोत्तर की उपाधि।
	(19) किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी अल्पसंख्यक कल्याण संस्था को प्रशासनिक या पर्यवेक्षी हैसियत से चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
	(20) अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।
	(21)किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी समाज कल्याण संस्था को प्रशासनिक या पर्यवेक्षी हैसियत से चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
	(22) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक संस्थान से कटाई, सिलाई और बुनाई में डिप्लोमा का प्रमाण–पत्र।

	(23) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।
	(24) एन0सी0सी0 ''बी'' प्रमाण पत्र
	(25) एन0सी0सी0 ''सी'' प्रमाण पत्र
	(26) एन0एस0एस0 का "बी" अथवा ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
13	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0)* **(यदि लागू हो)**
14	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / उत्तराखण्ड महिला / उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक / उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे / दिव्यांगता प्रमाण पत्र) **(यदि लागू हो)**
15	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र **(यदि लागू हो)**
16	यदि शारीरिक मानक में छूट का दावा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया है तो दावे के सापेक्ष सक्षम स्तर से जारी पर्वतीय प्रमाण–पत्र। (विज्ञापन के परिशिष्ट–5 के अनुसार)
17	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी किसी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।
18	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार / लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।
19	यदि अभ्यर्थी के नाम / पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।
20	**पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम फोटोग्राफ। (उक्त फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित नहीं होने चाहिए)**
21	आधार कार्ड।

3. मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4. साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क (सामान्य वर्ग / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0 हेतु रू. 150.00 एवं आरक्षित वर्ग (यथा एस0सी0 / एस0सी) / भूतपूर्व सैनिक रू. 60.00) आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी। उक्त के अतिरिक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनाथ श्रेणी के अभ्यर्थियों से साक्षात्कार शुल्क नहीं लिया जायेगा।

5. यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

6. विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

7. आयोग परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

Sd/-
(जी0एस0 रावत)
सचिव।